



राजनीति

चुनावों से संबंधित प्रासंगिक मुद्दे और सुधार

चुनावों का पारदर्शी वित्तपोषण

A. **नियामक ढांचा:** चुनाव वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और आयकर अधिनियम, 1961 जैसे कानून शामिल हैं। भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) इन कानूनों के अनुपालन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमुख रिपोर्टें और समितियां	अनुशंसाएँ/मुख्य बातें
दिनेश गोस्वामी समिति (1990)	- चुनावी सुधारों और चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
	- चुनाव वित्तपोषण में सरकारी योगदान का सुझाव तथा निजी दान में पारदर्शिता।
इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)	- राजनीति में धन के प्रभाव को कम करने के लिए चुनावों के आंशिक राज्य वित्तपोषण की सिफारिश की गई।
वित्त अधिनियम (2016 और 2017)	- संशोधन राजनीतिक पार्टियों के वित्तपोषण पर केंद्रित थे।
	- पारदर्शिता के लिए चुनावी बांड की शुरुआत, हालांकि दानकर्ता की गुमनामी के लिए इसकी आलोचना की गई।

चुनाव सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट (2018)	- चुनाव व्यय को विनियमित करने, काले धन पर अंकुश लगाने तथा राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए गए।
--	--

बी. राज्य वित्तपोषण:

चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण के लाभ	चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण के मुद्दे
भ्रष्टाचार और तस्करी के प्रभाव को कम करता है	संसाधनों का आवंटन
- राजनीति में धन के प्रभाव को कम करता है, भ्रष्टाचार और धनी व्यक्तियों या हित समूहों के अनुचित प्रभाव को कम करता है।	- चुनावी प्रक्रिया के लिए आवंटन मानदंड, वित्त पोषण राशि और बजट विवादास्पद और अस्पष्ट हो सकते हैं।
समानता और निष्पक्षता	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ
- सभी पात्र अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि समान अवसर उपलब्ध हो सकें।	- इससे व्यक्तियों या संगठनों की उम्मीदवारों के समर्थन या विरोध में धन खर्च करने की क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
पारदर्शिता	राजनीतिक दलों पर प्रभाव

- प्रकटीकरण आवश्यकताओं के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाता है, अभियान के वित्तपोषण से संबंधित जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करता है।	- इससे पार्टी का प्रभाव कमजोर हो सकता है और अधिक स्वतंत्र उम्मीदवार सामने आ सकते हैं, जो पार्टी मंच से सहमत नहीं होंगे।
नागरिक भागीदारी में वृद्धि	नौकरशाही का खतरा
- इससे चुनावों में भाग लेने के लिए अधिक व्यापक श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अधिक विविध प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।	- निधि वितरण, पात्रता निर्धारण और अनुपालन प्रवर्तन में प्रशासनिक जटिलताएं।
जनता का विश्वास और भरोसा	सीमित वित्तपोषण और प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान
- निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करके और विशेष हितों के प्रभाव को कम करके जनता का विश्वास कायम करना।	- सार्वजनिक वित्तपोषण पर निर्भर उम्मीदवारों को निजी योगदान वाले उम्मीदवारों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
धन जुटाने की बजाय मुद्दों पर अधिक ध्यान	राजनीतिक हेरफेर
- सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित उम्मीदवार धन जुटाने की बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे अधिक सार्थक राजनीतिक चर्चा को बढ़ावा मिलता है।	- यदि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, तो राजनीतिक हेरफेर या पक्षपात प्रणाली की निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है।
उम्मीदवारों के लिए लागत बचत	अभियान वित्त की गतिशील प्रकृति

- उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है, निजी दान और व्यक्तिगत संपत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है।	- नई अभियान रणनीतियाँ, प्रौद्योगिकियाँ और संचार विधियाँ पारंपरिक वित्तपोषण मॉडल की प्रभावशीलता को चुनौती दे सकती हैं।
नये उम्मीदवारों के लिए सुलभता	भ्रष्टाचार पर अपर्याप्त प्रभाव
- इससे नए उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना आसान हो जाता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और राजनीतिक अभिजात वर्ग के उदय को रोका जा सकता है।	- निजी धन के प्रभाव को कम करने के बावजूद, राज्य वित्त पोषण से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि खामियाँ और अनैतिक व्यवहार अभी भी मौजूद हो सकते हैं।
	सार्वजनिक धारणा और समर्थन
	- यदि मतदाता प्रणाली को अनुचित या दोषपूर्ण मानते हैं, तो इससे चुनावी प्रक्रिया में उनका विश्वास कम हो सकता है।
	राजनीतिक दृष्टिकोण की विविधता
	- वितरण मानदंड और पात्रता नियम कुछ विचारधाराओं या उम्मीदवारों के पक्ष में हो सकते हैं, जिससे विविध राजनीतिक दृष्टिकोणों की कमी हो सकती है।

चुनावों के लिए राज्य वित्तपोषण में सुधार हेतु सुझाव:

- सीएजी द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा :

○ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को काले धन को खत्म करने और दानदाताओं की पहचान की सुरक्षा के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा करनी चाहिए।

● दूसरी एआरसी रिपोर्ट का कार्यान्वयन :

○ प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की दूसरी रिपोर्ट में अवैधानिक और व्यर्थ चुनाव व्यय को कम करने के लिए चुनावों के आंशिक राज्य वित्त पोषण का सुझाव दिया गया है।

● चुनाव व्यय नियामक निकाय :

○ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव व्यय की जांच एक निर्दिष्ट नियामक संस्था द्वारा की जानी चाहिए।

● योगदान का बदलता तरीका :

○ वर्तमान नकद अंशदान सीमा 2,000 रुपये है, जो अवैध वित्तपोषण को आमंत्रित करती है।
○ नकद दान बंद कर दिया जाना चाहिए, तथा सभी भुगतान, यहां तक कि 2,000 रुपये से कम के भुगतान भी, बांड या ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से किए जाने चाहिए।

● राष्ट्रीय चुनाव कोष का निर्माण :

○ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सभी दाताओं से योगदान लिया जा सके।

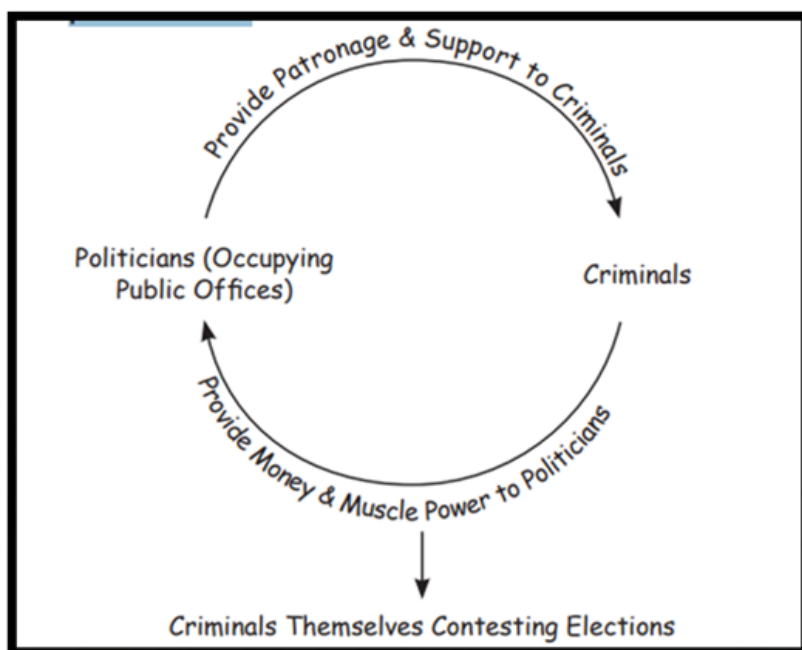
निष्कर्ष :

चुनावों के लिए राज्य द्वारा दिए जाने वाले वित्तपोषण की निरंतर जांच और सुधार की आवश्यकता है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित की जा सके। विनियमनों में राजनीतिक भागीदारी और भ्रष्टाचार तथा अनुचित प्रभाव की रोकथाम के बीच संतुलन होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए काले धन के उपयोग को कम करना महत्वपूर्ण है।

राजनीति में अपराधीकरण

परिभाषा

राजनीति में अपराधीकरण का मतलब चुनावी राजनीति और सार्वजनिक कार्यालयों में आपराधिक आरोपों या दोषसिद्ध व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी से है। यह घटना संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों को कानून निर्माण और प्रशासन को प्रभावित करने की अनुमति देकर लोकतांत्रिक लोकाचार और शासन को कमजोर करती है।



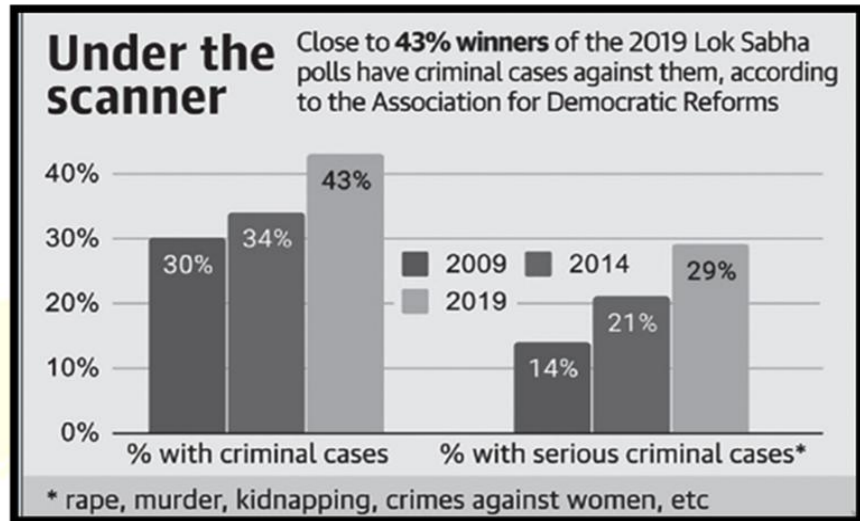
मुख्य तथ्य और आंकड़े

1. अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति:

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार , आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 2004 से लगातार बढ़ रही है।
- **2004:** 24% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे।
- **2019:** 43% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे।
- **2023:** एक याचिका से पता चला कि 2009 से अब तक घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है।

○ 2019 लोकसभा चुनाव:

- 159 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं।



अपराधीकरण के कारण और कारक

1. चुनावी विचार:

- राजनीतिक दल अक्सर ईमानदारी की अपेक्षा "जीतने की संभावना" को प्राथमिकता देते हैं, तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे उम्मीदवारों का चयन करते हैं जिनका स्थानीय स्तर पर मजबूत प्रभाव हो।
- आपराधिक संबंधों वाले उम्मीदवार चुनावी जीत हासिल करने के लिए धन और बाहुबल का प्रयोग कर सकते हैं।

2. विनियामक खामियां:

- चुनावी कानूनों में खामियों के कारण, लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को दोषसिद्धि होने तक चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है।
- कड़े अयोग्यता मानदंडों का अभाव समस्या को और बढ़ा देता है।

3. कानूनी प्रणाली में अकुशलताएं:

- न्यायिक विलंब और लंबी सुनवाई के कारण गंभीर आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते रहते हैं।
- प्रायः अपराध के कई वर्षों बाद दोषसिद्धि होती है, जिससे आरोपी राजनेताओं को इस बीच अपने पद पर बने रहने का मौका मिल जाता है।

4. राजनीतिक संरक्षण:

- अपराधी प्रायः वफादारी और समर्थन के बदले में **राजनीतिक दलों से संरक्षण प्राप्त करते हैं**, जिससे एक सहजीवी संबंध स्थापित होता है।

अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

मामला	महत्व
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2002)	उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक विवरण घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया।
रमेश दलाल बनाम भारत संघ (2005)	अयोग्य घोषित किये गये वर्तमान सांसदों और विधायकों को दोषी ठहराया गया तथा दो या अधिक वर्षों के कारावास की सजा दी गई।
लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)	आरपीए, 1951 की धारा 8(4) को अमान्य कर दिया गया, जो दोषी विधायकों को अपील के दौरान पद पर बने रहने की अनुमति देता था।
पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019)	राजनीतिक दलों को अपने वेबसाइट, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

1. लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना:

- यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति देता है, जिससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता कम होती है।

2. शासन पर प्रभाव:

- आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनेता अक्सर सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा व्यक्तिगत हितों और संरक्षण नेटवर्क को प्राथमिकता देते हैं।

3. सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:

- अपराधीकरण से लोकतांत्रिक संस्थाओं में मतदाताओं का विश्वास कम हो जाता है, जिससे राजनीतिक उदासीनता पैदा होती है।

4. कानून के शासन के लिए चुनौतियाँ:

- राजनीति में आपराधिक तत्व कानून की पवित्रता को नष्ट करते हैं तथा दण्ड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

5. धमकी और हिंसा:

- आपराधिक उम्मीदवार अक्सर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी भागीदारी को दबाने के लिए धमकी और हिंसा का प्रयोग करते हैं।

उपाय और सुधार

उपाय	विवरण
कानूनी सुधार	- गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को दोषसिद्धि से पहले ही अयोग्य ठहराने के लिए चुनावी कानूनों में संशोधन करना।
पारदर्शिता और जागरूकता	- मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना।

फास्ट-ट्रैक न्यायालय	- लंबित आपराधिक मामलों वाले राजनेताओं के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अदालतें स्थापित की जाएं।
राजनीतिक जवाबदेही	- राजनीतिक दलों को आंतरिक नैतिक दिशानिर्देश अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें तथा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से मना करें।
सार्वजनिक सहभागिता	- स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के महत्व के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए नागरिक जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना।
चुनाव सुधार	- चुनावों में धन-बल के प्रभाव को रोकने के लिए अभियान वित्तपोषण और पार्टी फंडिंग पर ध्यान दिया जाएगा।

नव गतिविधि

1. **आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करना: पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019)** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद , राजनीतिक दलों को यह बताना आवश्यक है कि उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को क्यों चुना और इस जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया।
2. **मामलों की त्वरित सुनवाई:** सर्वोच्च न्यायालय ने राजनेताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए **विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया है।**
3. **भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा अधिक जांच:** भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) सक्रिय रूप से मजबूत चुनावी सुधारों पर जोर दे रहा है, जिसमें जघन्य अपराधों के लंबित आरोपों वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।

निष्कर्ष

राजनीति में अपराधीकरण भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। हालांकि न्यायिक हस्तक्षेप और अनिवार्य प्रकटीकरण जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रणालीगत अक्षमताओं और राजनीतिक प्रोत्साहनों के कारण समस्या बनी हुई है। **कानूनी सुधार, चुनावी**

पारदर्शिता, फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक जागरूकता सहित एक बहुआयामी दृष्टिकोण इस मुद्दे को कम करने और भारतीय लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

भारतीय चुनावों में धनबल और चुनावी मुफ्त उपहार

फ्रीबीज

परिभाषा

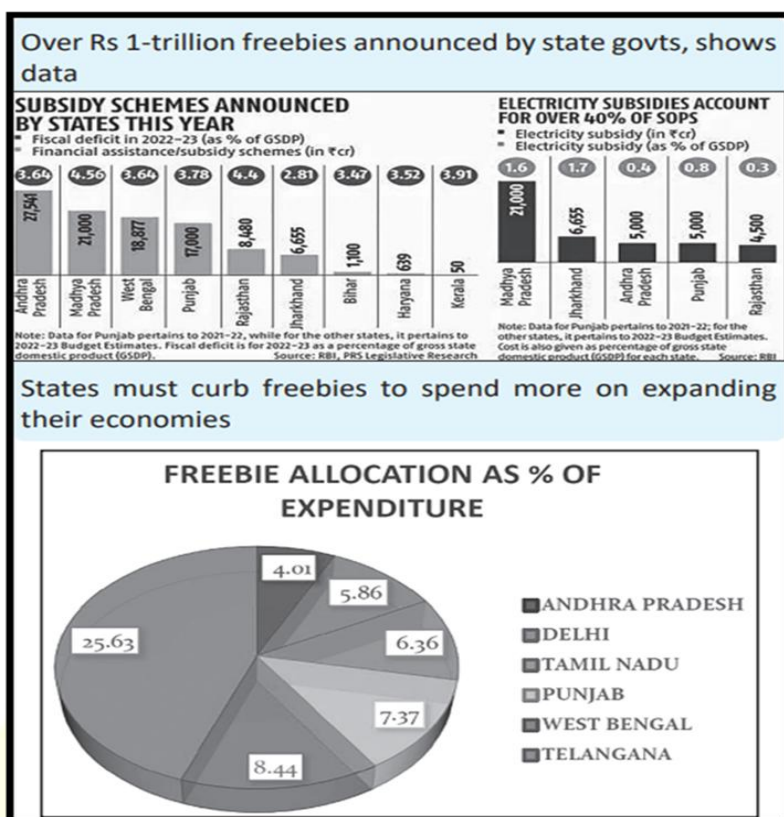
यह मुफ्त सामान या सेवाएं प्रदान करने के वादों से है। उदाहरणों में मुफ्त बिजली, पानी, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मासिक भत्ता, लैपटॉप, स्मार्टफोन और घरेलू उपकरण शामिल हैं। इनका उद्देश्य अक्सर वोट हासिल करना और मतदाताओं को प्रभावित करना होता है।

चुनाव में मुफ्त उपहारों के उदाहरण

1. **तमिलनाडु:** चुनावी वादों के तहत मुफ्त मिक्सर, ग्राइंडर, लैपटॉप और टीवी वितरित किए गए।
2. **दिल्ली:** सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा मुफ्त बिजली (200 यूनिट तक) और पानी की पेशकश की गई।
3. **पंजाब (2022):** मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए नकद भत्ते प्रमुख चुनावी वादे थे।

मुफ्त उपहारों पर मुख्य आंकड़े

- मुफ्त उपहार देने की बढ़ती प्रवृत्ति राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव डालती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है।
- कुछ राज्यों में, सरकारी व्यय का 50% से अधिक हिस्सा सब्सिडी या मुफ्त योजनाओं पर खर्च किया जाता है, जो अक्सर दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं की कीमत पर होता है।



चुनावी मुफ्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मामला: एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार (2013)

- **मुद्दा:** अवास्तविक चुनावी वादे और मुफ्त सुविधाएं चुनावों में समान अवसर को बाधित करती हैं।
- **निर्णय:**
 - चुनावी घोषणापत्रों में किए गए वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत **भ्रष्ट आचरण** की श्रेणी में नहीं आते।
 - राज्य विधानसभा में **विनियोग अधिनियम** के माध्यम से अनुमोदन मिलने पर सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा **मुफ्त उपहार** वितरित करने की अनुमति है।
- **चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश:**
 - मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से **चुनाव घोषणापत्र** के लिए **दिशानिर्देश** तैयार करना।

चुनावी मुफ्त सुविधाओं के समर्थन में तर्क	चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ तर्क
कम विकसित राज्यों की मदद करता है	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध
कम विकसित राज्यों में जहां गरीबी व्यापक है, मुफ्त सुविधाएं आवश्यक हैं, इससे लोगों के उत्थान में मदद मिलती है।	मुफ्त उपहार मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करते हैं, चुनावी प्रक्रिया को विकृत करते हैं और इसकी अखंडता से समझौता करते हैं।
अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक	समानता के सिद्धांत के विरुद्ध
चुनावों के दौरान जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं और मुफ्त उपहार उन मांगों को पूरा करने का काम करते हैं।	चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से गैर-सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण करना संवैधानिक सिद्धांतों, जैसे अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन है।
विकास के उद्देश्य से	आर्थिक बोझ
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों के लिए सब्सिडी और शैक्षिक लाभ जैसी सरकारी योजनाएं विकास और वृद्धि में सहायता करती हैं।	मुफ्त सुविधाओं से राज्य और केन्द्र दोनों के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है।

Key Reforms

- Independent Anti-Corruption Commission
- Empowered district and city governments
- Specialization and Civil Service reforms
- National Judicial Commission
- Independent crime investigation
- Proportional Representation
- Direct election at State and Local levels

चुनावों में धनबल

धनबल से तात्पर्य उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों को प्रभावित करने के लिए वित्तीय संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से है। इसमें शामिल हैं:

- मतदाताओं को रिश्वत की पेशकश करना।
- कानूनी व्यय सीमा से अधिक भव्य अभियानों को वित्तपोषित करना।
- वोट हासिल करने के लिए नकदी, शराब या अन्य सामान वितरित करना।

महत्वपूर्ण तथ्यों

1. अभियान व्यय में वृद्धि:

- एडीआर के अनुमान के अनुसार 2024 के चुनाव में 1.5 लाख करोड़ तक खर्च होगा।

2. अवैध नकदी जब्ती:

- 2022 के विधानसभा चुनावों में, चुनाव आयोग ने मतदाता रिश्वत के लिए 1,000 करोड़ रुपये नकद, शराब और अन्य सामान जब्त किए।

धन-शक्ति और मुफ्त उपहारों से जुड़ी चुनौतियाँ

1. लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:

- मुफ्त उपहार और अत्यधिक चुनाव खर्च, धनी उम्मीदवारों या पार्टियों को लाभ पहुंचाकर चुनाव की निष्पक्षता से समझौता करते हैं।

2. आर्थिक परिणाम:

- मुफ्त सुविधाओं से प्रायः राजकोषीय घाटा बढ़ता है और दीर्घकालिक विकास लक्ष्य कमजोर होते हैं।

3. असमान खेल मैदान:

- अधिक वित्तीय संसाधनों वाली पार्टियाँ चुनाव प्रचार पर हावी हो जाती हैं, तथा छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को हाशिए पर धकेल देती हैं।

4. मतदाता हेरफेर:

- धन-बल और मुफ्त उपहार मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होते हैं।

उपाय और सुधार

उपाय	विवरण
सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं में अंतर	विकास (जैसे, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा) को लक्षित करने वाली सब्सिडी और अनुत्पादक मुफ्त सुविधाओं की पहचान करें।
जन जागरूकता अभियान	मतदाताओं को मुफ्त में वोट बेचने के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करें तथा स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के लिए समर्थन को बढ़ावा दें।

सख्त वित्तीय विनियमन	चुनाव व्यय पर कानूनी सीमाएं लागू करें और अभियान वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाएं।
फास्ट-ट्रैक न्यायालय	चुनाव के दौरान धन-बल के उल्लंघन और संसाधनों के अवैध उपयोग से संबंधित मामलों में तेजी लाना।
पारदर्शी घोषणापत्र	राजनीतिक दलों को घोषणापत्रों में अपने वादों के वित्तीय निहितार्थों को उचित ठहराने की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग की निगरानी	मुफ्त उपहारों के वादों की निगरानी करने तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाया जाए।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. आर्थिक व्यवहार्यता:

- राजनीतिक दलों को अपने वादों के वित्तीय प्रभाव का आकलन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दीर्घकालिक राज्य एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हों।

2. सार्वजनिक भागीदारी:

- मतदाताओं को चुनावी वादों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए तथा अस्थाई मुफ्त योजनाओं की तुलना में विकास-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3. विधायी कार्यवाई:

- मुफ्त उपहारों और अभियान वित्तपोषण को विनियमित करने के लिए कानून बनाएं, ताकि चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

4. विकासोन्मुख सब्सिडी को बढ़ावा देना:

- उत्पादक सब्सिडी (जैसे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा) और लोकलुभावन मुफ्त सुविधाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें, तथा टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित करें।

निष्कर्ष

जबकि चुनाव में मुफ्त में पैसे का दुरुपयोग और धनबल का दुरुपयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है, लक्षित सुधार, मजबूत निगरानी और सक्रिय मतदाता भागीदारी उनके प्रभाव को कम कर सकती हैं। चुनावों की अखंडता को बनाए रखने के लिए पारदर्शी, नैतिक और विकास-केंद्रित शासन को प्राथमिकता देने के लिए नीति निर्माताओं, मतदाताओं और संस्थानों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है।

